कार्यालय कलेक्टर–लाइसेंस प्राधिकारी, मेरठ

संख्या 387 /आबकारी/वार्षिक व्यवस्थापन/2020–21/मेरठ : दिनांक : 10/08/2020

"विज्ञप्ति"

जनपद–मेरठ में निरस्त देशी शराब दुकान–मण्डी मेरठ रोड परीक्षितगढ एवं देशी शराब दुकान–मवाना स्टैण्ड का पुर्नव्यवस्थापन आन–लाइन www.etender.up.nic.in पर ई–टेण्डर/ऑफर मांगकर किया जायेगा। ऑनलाइन ई–टेण्डर/आफर हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित है:–

1-	Tender publishing date	13.08.2020 at 09:30
2-	Document download start date	13.08.2020 at 09:30
3	Document download end date	21.08.2020 at 09:30
4-	Pre bid meeting date	13.08.2020 at 16:00 (District Excise Office, G-75 Pandav Nagar, Meerut)
5-	Bid submission start date	13.08.2020 at 09:30
6-	Bid submission closing date	21.08.2020 at 09:30
7	Technical bid opening date	21.08.2020 at 11:00
8-	Financial bid opening date	21.08.2020 at 14:00
9-	The place of bid opening	Bachat Bhawan Sabhagar, Collectrate, Meerut
10-	Tender inviting officer	Collector, Meerut

(1) देशी मदिरा

क्र० सं०	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	दुकान हेतु निर्धारित न्यूनतम् वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस (रू० में)			न्यूनतम् धरोहर धनराशि (रू० में)
			निर्धारित न्यूनतम् वार्षिक एम0जी0क्यू0 (ब0ली0 में) 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में	न्यूनतम् वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस (रू० में)	न्यूनतम् वार्षिक लाइसेंस फीस (रू० में)	
1	2	3	4	5	6	7
1–	मण्डी मेरठ रोड परीक्षितगढ	नगर पंचायत	94644	2643696	-----	264370
2–	मवाना स्टैण्ड	नगर निगम	167208	5016132	-----	501614

1. मदिरा की फुटकर दुकानों का आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा/बियर की दुकानों एवं माडलशाप हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येकआवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार कराना होगा तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा। आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा, अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं है।
2. सम्पूर्ण निविदा सूचना आलेख के साथ प्रारूप–1 पर आवेदन पत्र एवं प्रारूप–2 पर शपथ–पत्र दिया जायेगा। वित्तीय निविदा भाग (2) में केवल ऑनलाइन भरनी होगी। मात्र निर्धारित आवेदन–पत्र व शपथ–पत्र पर देय सूचना ही मान्य होगी। निर्धारित प्रारूप से भिन्न टंकित या तैयार किये गये आवेदन पत्र व शपथ पत्र के प्रारूप मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र व शपथ www.etender.up.nic.in से डॉउनलोड कर भरी जायेगी।
3. मदिरा की दुकान हेतु प्राप्त आफर में सर्वाधिक वार्षिक एम0जी0क्यू0 के ई–टेण्डर/आफर को स्वीकार किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई–टेण्डर/आफर प्राप्त होते है, तब जनपद स्तर पर ही मैनुअल लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई–टेण्डर/आफर में से एक को चुन कर व्यवस्थापन करया जायेगा।
4. देशी मदिरा की दुकान के संदर्भ में स्वीकृत ई–टेण्डर से प्राप्त वार्षिक एम0जी0क्यू0 को 12 के अगले गुणांक में निर्धारित किया जायेगा तथा दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस 12 के गुणांक में प्राप्त होने वाले एम0जी0क्यू0 गुणा रू0 33/– प्रति बल्क की दर से देय होगी। देशी मदिरा की दुकान के संदर्भ में उपरोक्तानुसार चयनित ई–टेण्डर/आफर में प्राप्त सर्वाधिक वार्षिक एम0जी0क्यू0 (12 के गुणांक में) में से व्यपगत अवधि के एम0जी0क्यू0 को घटाकर वर्ष की अवशेष अवधि हेतु एम0जी0क्यू0 निर्धारित किया जायेगा तथा तदनुसार बेसिक लाइसेंस फीस जमा करायी जायेगी।
5. मदिरा की दुकान हेतु आवंटन के लिए भारतवर्ष के निवासी, जिनकी आयु आन–लाइन आफर प्रकाशन की तिथि तक आयु 21 वर्ष पूर्ण हो, ही आवेदन कर सकेंगे।
6. आवेदक के पक्ष में सम्बन्धित जनपद में यदि कोई दुकान पूर्व में आवंटित हुई हो, तो उसका विवरण आवेदक द्वारा देना अनिवार्य होगा।
7. आवेदन को ऑन लाइन ऑफर के साथ निम्न प्रपत्र स्वप्रमाणित स्कैन प्रति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन टैक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करनी होगी:– 1– आवेदन पत्र, 2– सम्बन्धित शपथ पत्र (रू0 10/– के नॉन ज्यूडिसियरी स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित), 3– पैन कार्ड, 4–आधार कार्ड, 5–.हैसियत प्रमण पत्र/आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण–पत्र **(हैसियत प्रमाण पत्र/वैलुअर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 01.01.2019 से पूर्व का निर्गत मान्य नहीं होगा)** 6–प्रोसेसिंग शुल्क की धनराशि रू0 20000/– का बैंक ड्राफ्ट, जो जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ के पक्ष में देय हो, दिनांक 21.08.2020 को प्रातः 10:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जी–75 पाण्डव नगर, मेरठ में जमा करना अनिवार्य होगा, यदि आफरदाता द्वारा निर्धारित प्रोसेसिंग फीस का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं कराया जाता है, तो उनका टेण्डर/आफर स्वीकार नहीं किया जायेगा। 7–वांछित धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन फाइनेंसियल बिड सेक्शन में अपलोड करनी होगी, जिसे आवेदन टैक्निकल बिड में मूलरूप में अपने साथ रखेगा।

देशी मदिरा की दुकान हेतु सम्बन्धित दुकान के कुल न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित बेसिक लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो कि जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ के नाम बना हो, ही स्वीकार्य किये जायेंगे। धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी ई–टेण्डर पोर्टल के फाइनेंसियल बिड सेक्शन में अपलोड की जाएगी।

8. किसी आवेदक के पक्ष में प्रदेश में सभी प्रकार (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप) की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।

9.. आवेदक को ऑन लाइन ऑफर भरने पर बिड एक्नॉलेजमेन्ट प्राप्त होगा। उक्त बिड एक्नॉलेजमेन्ट ही ऑनलाइन आवेदन किये जाने का प्रमाण होगा। उक्त प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर वह निविदा खुलते समय प्रवेश पा सकेगा।

10. आवेदक द्वारा गलत तथ्य या Corrupt and fraud practice करने पर उसका आवेदन निरस्त होगा। आवेदक आन–'लाइन Bid submission की अन्तिम तिथि व समय से पूर्व अपनी बिड को संशोधित व वापस कर सकता है।

11. चयनित आवेदक को विवाद रहित समस्त अभिलेखों के साथ बेसिक लाइसेंस फीस तीन कार्य दिवस में, धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के तत्काल बाद जमा करना अनिवार्य होगा। बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि तीन कार्य दिवस के अन्दर एवं प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत 10 कार्य दिवस व शेष प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत चयन के 20 कार्य दिवस के अन्दर एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करना होगा, जो जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ के पक्ष में बंधक हो। समयान्तर्गत औपचारिकताएँ पूर्ण न करने पर चयनित आवेदक के जोखिम पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

12. आवंटन समिति किसी भी आन–लाइन आफर को बिना कारण बताए स्वीकार या निरस्त कर सकती है अथवा सम्पूर्ण आन–लाइन आफर की प्रकिया को निरस्त कर र कती है।

अतः उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया, नियमों एवं शर्तो के अधीन इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित कार्यकम के अनुसार ई–टेण्डर प्रणाली/ऑफर दिए जाने के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.08.2020 को सायं 04:00 बजे कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जी–75 पाण्डव नगर, मेरठ में आयोजित प्री–बिड मिटिंग में उपस्थित हो सकता है।

(आलोक कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
मेरठ।

(अनिल ढींगरा)
कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी,
मेरठ।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की साईट पर अपलोड कराते हुए, मदिरा दुकानों की ई–टेण्डर व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

(आलोक कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
मेरठ।